क्रम संख्या–92

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 144 / XXXVI(3) / 2010 / 08(1) / 2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010'** पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010)

बाल विवाहों के प्रतिषेध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व रोकने, पति से भरण–पोषण एवं संतान की अभिरक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करने, विधवाओं को विरासत के दावे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने तथा भयोपरतिकारी पतियों द्वारा अपने पत्नियों का परित्याग करने से बचाने के लिए, उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न होने वाले समस्त विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "महानिबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;

(ग) "जिला निबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त जिला निबन्धक अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन निबन्धक के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी भी सम्मिलित है;

(घ) "स्थानीय निबन्धक" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाहों का स्थानीय निबन्धक अभिप्रेत है;

(ङ) "विवाह" में किसी जाति, जनजाति या धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किसी रूढ़ि प्रथा या परम्परा के अनुरूप निष्पादित समस्त विवाह अभिप्रेत हैं तथा इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित हैं;

(च) "विवाह का सम्पादन" से सम्पन्न किसी रूप या प्रकार से प्रचलित किसी प्रथा, रूढ़ि या परम्परा के अनुसार हो अथवा विवाह रचना अभिप्रेत है;

(छ) "ज्ञापन " से धारा 5 या 6 में निर्दिष्ट विवाह का ज्ञापन अभिप्रेत है;

(ज) "पुजारी" से सम्बन्धित समुदाय की प्रथा के अनुसार विवाह सम्पादित कराने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाहों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य में सम्पन्न समस्त विवाह, विवाह सम्पन्न होने के नब्बे दिन के भीतर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, रजिस्ट्रीकृत किए जायेंगे।

(2) प्रत्येक पति विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा:

परन्तु यह कि जहाँ पति 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिए अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है, वहाँ पत्नी विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगी;

परन्तु यह और कि जहाँ पत्नी 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है या जिसे स्थानीय रूढ़ि और रीतियों के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वहाँ माता या पिता या संरक्षक विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होंगे।

स्थानीय निबन्धक की नियुक्ति

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निबन्धक नियुक्त करेगी।

(2) जिला निबन्धक या स्थानीय निबन्धक विहित रीति से विवाह का एक रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर रखेगा जैसा कि विहित किया जाय।

विवाह का ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

5. (1) विवाह के पक्षकार अनूसूची "क" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे और उस क्षेत्र के निबन्धक को जहाँ विवाह निष्पादित हुआ है, विवाह की तारीख के 90 दिन के भीतर उक्त ज्ञापन की दो प्रतियां देंगे या पंजीकृत डाक से भेजेंगे।

(2) ज्ञापन विहित फीस के साथ और विहित व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर भेजा जाएगा।

(3) ज्ञापन के प्राप्त होने पर निबन्धक उसे सात दिन के भीतर फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा और उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी गति से जैसा विहित किया जाय, विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने वाले पक्षकारों को नोटिस

6. (1) निबन्धक स्वयं अथवा अन्यथा नोटिस जारी करके इस अधिनियम के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण न करने वाले पक्षकारों को अपने सम्मुख उपस्थित होने और ऐसी रीति से तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को हस्ताक्षरित तथा विहित फीस के साथ देने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर निबन्धक, उसे फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा और धारा 5 में उपबन्धित विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात धारा 13 के प्राविधानों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) जहाँ विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार अवयस्क हैं तो निबन्धक स्थानीय पुलिस को बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 19, वर्ष 1929) के उल्लंघन में विवाह निष्पादित करने की सूचना देगा।

रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा

7. इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर कार्यदिवस के युक्तियुक्त समय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर विहित फीस के संदाय पर निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा उसका सत्यापित उद्धरण जारी किया जा सकेगा। ज्ञापन की प्रविष्टियाँ या रजिस्टर या उसका सत्यापित उद्धरण या धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा और उसमें उल्लिखित विवरण का प्रमाण होगा।

अरजिस्ट्रीकृत विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा

8. राज्य में निष्पादित कोई विवाह इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था या ज्ञापन निबन्धक को पहुँचाया या भेजा नहीं गया था या ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, अनियमित या गलत था।

निबन्धक विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा

9. (1) प्रत्येक निबन्धक विहित प्ररूप में एक उसके क्षेत्राधिकार के अधीन के क्षेत्र में विवाह रजिस्ट्रीकरण का विवाह रजिस्टर रखेगा।

(2) महानिबन्धक इस हेतु समय–समय पर विहित प्ररूप में पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवायेगा और निबन्धकों को आपूर्ति करेगा।

रजिस्टर की तलाशी

10. फीस के संदाय से सम्बन्धित नियमों सहित, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्याधीन कोई व्यक्ति–

(क) विवाह रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि क़े लिए रजिस्टर की तलाशी ले सकेगा और;

(ख) ऐसे रजिस्टर के उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

उद्धरित प्रमाण–पत्र की ग्राह्यता और साक्ष्यिक मूल्य

11. (1) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी उद्धरण सम्बन्धित निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे और किसी न्यायालय में सम्बन्धित प्रविष्टि विवाह के कृत्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य हेतु ग्राह्य होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र या निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा जारी इस अधिनियम के अधीन रखे गये रजिस्टर के उद्धरण सही माने जायेंगे, जब तक कि उसे (उन्हें) प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।

उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति

12. कोई व्यक्ति जो–

(क) धारा 5 अथवा 6 द्वारा अपेक्षित ज्ञापन हस्तगत कराने या भेजने में चूक अथवा उपेक्षा करता है;

(ख) ज्ञापन की तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या कथन करता है और यह जानता है या यह विश्वास करता है कि यह मिथ्या है, उसे दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ग) ऐसा व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अधीन किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

ज्ञापन दर्ज न करने पर दण्ड

13. धारा 5 या 6 के अनुक्रम में कोई निबन्धक जो जानबूझकर ज्ञापन को दर्ज करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन माह तक की अवधि के लिए हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

तथ्यों को छुपाने पर दण्ड

14. कोई व्यक्ति जो विवाह के रजिस्टर या उसके किसी भाग को छुपाएगा, नष्ट करेगा या बेईमानी से या कपटपूर्वक परिवर्तन करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माने से जो दो वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा या दस हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

15. (1) धारा 12 के उपखण्ड (ख) के अधीन व्यथित पति या पत्नी की शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्तता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या महिला है, जिसे स्थानीय रूढ़ि और परम्पराओं के अनुसार बाहर निकालने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, माता अथवा पिता अथवा संरक्षक न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है।

(2) कोई न्यायालय धारा 12, 13 और 14 के उपखण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित जिले के जिला निबन्धक की शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

अपराध का शमन

16. (1) धारा 12 की उपधारा (ख) के अधीन अपराध शमनीय होगा।

(2) जिला निबन्धक द्वारा समाधान होने पर कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है, धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा।

(3) जाँच अथवा अभियुक्त द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर जिला निबन्धक के समाधान होने पर कि अभियुक्त ने धारा 5 और 6 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, जिला निबन्धक धारा 13 के अधीन शिकायत को वापस ले सकेगा।

सद्भावनापूर्वक किये गये कृत्य से संरक्षण

17. किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

18. कोई विवाह जो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

19. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और विशेषकर पूर्वप्रकाशन के अध्यधीन, पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले में नियम बना सकती है; अर्थात्:–

(क) स्थानीय निबन्धक, जिला निबन्धक और महा निबन्धक की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) ज्ञापन को दर्ज किये जाने हेतु प्रारूप और रीति;

(ग) धारा 5 और 6 के अधीन जारी किये जाने वाले विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप और रीति जिसमें विवाह रजिस्टर और अभिलेख रखे जाने अपेक्षित हैं;

(घ) रजिस्टर और अभिलेखों को अभिरक्षा में रखा जाना और ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेखों का परिरक्षण;

(ङ) इस अधिनियम के संगत प्राविधानों के अधीन संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जागरूकता पैदा करना;

(छ) अन्य कोई मामला जिसे विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और राज्य विधान सभा की स्वीकृति अथवा ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं होगी

20. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्राविधान इनके अतिरिक्त होंगे और किसी रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

21. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

अनुसूची "क"

विवाह का ज्ञापन

(धारा 5 और 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

वर की स्वयं सत्यापित फोटो	वधू की स्वयं सत्यापित फोटो

सेवा में,

निबन्धक,
विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण
जिला ——————
उत्तराखण्ड।

महोदय,

हम पर लागू प्राविधानों के अनुसार (पक्षकारों पर लागू धर्म, रूढ़ि परम्परा का उल्लेख किया जाय) ——————
के अधोहस्ताक्षरी पक्षकारों के मध्य दिनांक —————— को विवाह सम्पन्न हो गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह की निम्नलिखित विवरणियाँ, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत कर दी जायं :–

विवाह का विवरणियाँ

1. विवाह की तारीख ——————
2. विवाह का स्थल (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ ताकि स्थान का पता लगाया जा सके) ——————
3. वर की विवरणियाँ :
   (क) पूरा नाम और व्यवसाय ——————
   (ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाय) ——————
   (ग) आयु ——————

(घ) निवास का सामान्य स्थान _____

(ङ) स्थायी पता _____

(च) आवेदन देते समय पता _____

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति _____

अविवाहित _____

विधुर _____

तलाकशुदा _____

तारीख _____ वर के हस्ताक्षर _____

4. वधू का विवरण :

(क) पूरा नाम _____

(ख) मूल निवास (केवल विवरण भरा जाय) _____

(ग) आयु _____

(घ) आवास का सामान्य स्थान _____

(ङ) स्थायी पता _____

(च) आवेदन देते समय पता _____

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति _____

अविवाहित _____

विधवा _____

तलाकशुदा _____

तारीख _____ वधू के हस्ताक्षर _____

5. वर के पिता का पूर्ण विवरण :

(क) पूरा नाम _____

(ख) आयु _____

(ग) व्यवसाय _____

(घ) आवास का सामान्य स्थान _____

(ङ) आवेदन देते समय पता _____

(च) क्या जीवित है या मृत _____

तारीख _____ वर के पिता के हस्ताक्षर _____

नोट–वर के पिता के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं।

6. वधू के पिता या अन्य संरक्षक का विवरण :

(क) पूरा नाम _____

(ख) आयु _____

(ग) व्यवसाय _____

(घ) आवास का सामान्य स्थान _____

(ङ) आवेदन देते समय पता _____

(च) वधू के साथ संरक्षक का सम्बन्ध _____

_____

तारीख _____ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर

टिप्पणी–जहाँ आवेदन देने की तारीख को वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वहाँ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु जहाँ वह आवेदन देने की तारीख को 18 वर्ष से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्पादित हो रहा हो, तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

7. पुजारी का विवरण :

(क) पूरा नाम _____

(ख) आयु _____

(ग) निवास का सामान्य स्थान _____

(घ) पता _____

नोट–यदि विवाह का समय आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो चुका है, तो पुजारी का विवरण अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। उसके हस्ताक्षर भी बाध्यकारी नहीं हैं।

_____

तारीख _____ पुजारी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक उनका मुझसे और विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध है, आवेदन में दिये गये विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं और विश्वास के अनुसार सही हैं।

8. वर के हस्ताक्षर _____ वधू के हस्ताक्षर _____
तारीख _____ तारीख _____

9. 1—गवाह :
(क) पूर्ण नाम _____
(ख) पता _____

हस्ताक्षर _____
तारीख _____

2—गवाह :
(क) पूर्ण नाम _____
(ख) पता _____

हस्ताक्षर _____
तारीख _____

हस्ताक्षर _____
तारीख _____
पद _____ द्वारा प्रमाणित

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/सभासद/उप सभासद द्वारा वर और वधू की पहचान और अन्य विवरणियां इस आवेदन के साथ संलग्न हैं)

टिप्पणी— जहाँ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियाँ प्रमाणित नहीं करता है, वहाँ ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।